

बंदी तोता - सीबीआई

प्रासंगिकता: जीएस -2: वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय

की-वर्ड्स : जैन हवाला केस, विनीत नारायण वी। भारत संघ, केंद्रीय सतर्कता आयोग, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम

खबरों में क्यों?

सीबीआई के अक्षम कामकाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (एससी) द्वारा की गई कई टिप्पणियों के बावजूद, स्थिति में सुधार के लिए कुछ भी नहीं हुआ है और यह आरोप लगाया जाता है कि सीबीआई और ईडी के कामकाज में निरंतर पूर्वाग्रह है।



की हाइलाइट्स:

सीबीआई के अकुशल कामकाज से संबंधित विभिन्न एससी मामले:

1. जैन हवाला मामले:

- सीबीआई की आपराधिक लापरवाही सबसे पहले एक उग्रवाद और भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में सामने आई, जिसे जैन हवाला मामले के नाम से जाना जाता है, जो एक मनी लॉन्ड्रिंग मामला था जिसमें सीबीआई ने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम किया था।

2. विनीत नारायण बनाम भारत संघ:

- सीबीआई सरकार और राजनीति में बेहद प्रभावशाली लोगों की रक्षा करने के स्पष्ट इरादे से अधिकारियों की जांच शुरू करने में विफल रही।
- सार्वजनिक भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में सीबीआई की विफलता को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की देखरेख में रखने का आदेश दिया, जिसे एक वैधानिक दर्जा दिया गया था जो पहले एक स्वतंत्र सरकारी एजेंसी थी।
- हालांकि, किसी भी प्रतिरोध के अभाव में, एजेंसी बिना किसी दंड के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करती रहती है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)

- सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- सीबीआई का आदर्श वाक्य "उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता" है।

- यह केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित होता है और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (DSPEA), 1946 के तहत कार्य करता है।
- भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति (1963) ने सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की।
- तब गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा सीबीआई का गठन किया गया था।
- कार्मिक मंत्रालय ने बाद में सीबीआई की जिम्मेदारी संभाली और अब यह एक संलग्न कार्यालय की भूमिका निभाता है।
- यह एक सांविधिक निकाय नहीं है।
- डीएसपीईए अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत, एक राज्य सरकार नियमित रूप से सीबीआई को संबंधित राज्य में अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए सहमति देती है।

सीबीआई की संरचना:

- सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक, एक आईपीएस अधिकारी करता है जो पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त (राज्य) के स्तर का होता है। निदेशक को दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है जैसा कि विनीत नारायण केस 1998 में एससी द्वारा आयोजित किया गया था और सीबीसी अधिनियम 2003 द्वारा प्रदान किया गया था।
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से किया गया संशोधन, सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति को अधिकार देता है।
- समिति में निम्नलिखित लोग शामिल हैं:
 - प्रधान मंत्री (अध्यक्ष)
 - विपक्ष के नेता, यदि कोई मान्यता प्राप्त एलओपी नहीं है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता सदस्य बन जाएगा।
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम:

- केंद्रीय जांच ब्यूरो की उत्पत्ति विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई) से हुई है, जिसे 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
- तब एसपीई का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध और आपूर्ति विभाग के साथ लेनदेन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था।
- युद्ध की समाप्ति के बाद भी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई।
- इसलिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में लागू किया गया था।
- मामलों की जांच करने की सीबीआई की शक्ति इस अधिनियम से ली गई है।

सीबीआई के लिए सहमति:

1. **केस-विशिष्ट सहमति:** यह देखते हुए कि सीबीआई का अधिकार केवल केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों पर है, यह राज्य सरकार के कर्मचारियों या किसी राज्य में हिंसक अपराध से जुड़े मामले की जांच तभी कर सकता है, जब उस विशेष राज्य सरकार की सहमति हो।

2. **सामान्य सहमति:** यह सामान्य तौर पर संबंधित राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच आसानी से करने में सीबीआई की सहायता करने के लिए प्रदान की जाती है। लगभग सभी राज्यों ने ऐसी सहमति दी है, हालांकि कोई राज्य ऐसी सहमति वापस ले सकता है।

सीवीसी की देखरेख में सीबीआई के कामकाज में सुधार के लिए सुझाव:

1) **सीवीसी अधिनियम का संशोधन:**

- पक्षपात या विवादास्पद व्यक्तियों की नियुक्ति को रोकने के लिए सीवीसी सदस्यों की चयन प्रक्रिया अधिक व्यापक आधारित होनी चाहिए और चयन यथासंभव पारदर्शी होना चाहिए।
- **सलाहकार समिति का गठन:** सीवीसी को अपने कामकाज में पेशेवर इनपुट बढ़ाने के लिए अपराधियों और फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञों से कम से कम 11 सदस्यों की एक सलाहकार समिति का गठन करना चाहिए।
- इसके अलावा, सीवीसी पर बोझ को कम करने के लिए, इसे शिकायतों की जांच में सहायता करने के लिए किसी विशेषज्ञ या पेशेवर के पास जाने की शक्ति दी जानी चाहिए।

2) **सीवीसी का क्षेत्राधिकार:**

- सीवीसी का अधिकार क्षेत्र जो वर्तमान में केंद्र सरकार और सीपीएसयू के सभी कर्मचारियों को कवर करता है, अपरिवर्तित रहना चाहिए।
- सीवीसी को मुख्य सतर्कता अधिकारियों के चयन, नियुक्ति और कामकाज पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए।

3) **पर्याप्त अनुभवी टीम:**

- सीवीसी के पास तकनीकी रूप से जांच करने और शिकायत की गंभीरता का आकलन करने के लिए पर्याप्त रूप से अनुभवी टीम होनी चाहिए, जिसे बाद में जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जा सकता है या इस टीम द्वारा जांच की जा सकती है।
- इस व्यापक-आधारित सीवीसी द्वारा शिकायत का आकलन करने के बाद, सरकार से पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

4) **सीबीआई की कार्यात्मक और वित्तीय स्वतंत्रता:**

- सीवीसी द्वारा सौंपे गए मामलों में, सीबीआई को किसी भी सरकारी मंत्रालय/विभाग के नियंत्रण से कार्यात्मक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए।
- सीबीआई की जांच पर पेशेवर पर्यवेक्षण केवल सीवीसी के पास होना चाहिए।

5) **सीबीआई निदेशक की व्यापक नियुक्ति:**

- सीबीआई निदेशक की नियुक्ति का तरीका सीवीसी सदस्यों के मामले में व्यापक होना चाहिए, जबकि सीबीआई में अन्य नियुक्तियों/नियुक्तियों को सीवीसी की निगरानी में लाया जाना चाहिए।

6) **भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों और शिकायत निवारण के बीच बेहतर तालमेल:**

- व्हिसलब्लोअर और शिकायत निवारण से संबंधित कानूनों को सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में रखा जाना चाहिए।

7) **भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का प्रभावी प्रशासन:**

- जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का प्रभावी प्रशासन जिम्मेदार शासन की कुंजी है।

- इसलिए, राज्यों और उनकी भ्रष्टाचार-विरोधी एजेंसियों को समान रूप से राज्य सरकार के हस्तक्षेप से समान रूप से अछूता रहने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष:

- यह देश की मांग है कि सीबीआई, आयकर अधिकारियों और ईडी जैसी देश की प्रमुख जांच एजेंसियों का इस्तेमाल उस समय की सरकार द्वारा ब्लैकमेल और डराने-धमकाने के साधन के रूप में नहीं किया जाता है।
- बल्कि उन्हें पूरी निष्पक्षता के साथ और राष्ट्र हित में काम करना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक वैधानिक निकाय है।
2. यह गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है।
3. संथानम समिति ने सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की।

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (b)

- यह एक सांविधिक निकाय नहीं है।
- तब गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा सीबीआई का गठन किया गया था।
- यह केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित होता है और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (DSPEA), 1946 के तहत कार्य करता है।
- भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति ने सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. सीबीआई के अक्षम कामकाज के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई कई टिप्पणियों के बावजूद, स्थिति में सुधार के लिए कुछ भी नहीं हुआ है और सीबीआई और ईडी के कामकाज में लगातार पूर्वाग्रह बना हुआ है। जांच करें और सीबीआई के कामकाज में सुधार के लिए सुझाव दें।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस